न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल के समक्ष,

प्रदीप कुमार सिंघी,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा वित्तीय निगम चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी।

1983* का सिविल संशोधन क्रमांक *2461

27 फरवरी *1984* हरियाणा सार्वजनिक धन *(*बकाया वसूली*)* अधिनियम *(1979* का *XXIV)* - धारा *3* और *4(2)* - ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एक वित्तीय निगम के पास गिरवी रखी गई संपत्ति - गारंटर भी ऐसे ऋण के लिए ज़मानत दे रहा है - निगम - चाहे हकदार हो डिफॉल्टर की गिरवी संपत्ति की बिक्री से इसे पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले गारंटर से ऋण की वसूली करना।

माना गया कि हरियाणा सार्वजनिक धन *(*बकाया राशि की वसूली*)* अधिनियम, *1979* की धारा *4(2)* के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि धारा *3* में संदर्भित किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बंधक या गिरवी रखा जाता है, तो उसे सबसे पहले डिफॉल्टर की अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बेच दी गई। धारा *3* में निर्दिष्ट व्यक्ति प्रधान और जमानतदार दोनों हैं। नतीजतन, यदि उनमें से किसी एक की संपत्ति बंधक के अधीन है, तो उसे बेचना होगा और डिफॉल्टर की अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसकी बिक्री आय को विनियोजित करना होगा।

*(*पैराग्राफ *2).*

श्री राज कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश, फ़रीदाबाद की अदालत के आदेश के संशोधन के लिए धारा *115* सीपीसी के तहत याचिका, दिनांक *10* सितंबर, *1983,* श्री राज कुमार, अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, फ़रीदाबाद की अदालत के आदेश को संशोधित करना। दिनांक *19* मार्च, *1983* ने अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, और अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए वादी प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया और पक्षों को *17* सितंबर, *1983* को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के लिए आर.एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता, हरीश कुमार एडवोकेट और एन.के. खोसला, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से के.एल. कपूर, वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल, (मौखिक)

1. यह याचिका विद्वान जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को उलट दिया गया था, जिसके तहत वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं को हरियाणा पब्लिक मनी (रिकवरी) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही करने से रोका गया था। बकाया) अधिनियम, 1979 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा)।
2. याचिकाकर्ता द्वारा नीचे के अधिकारियों के साथ-साथ मेरे समक्ष उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, जो विवाद में राशि के भुगतान के लिए गारंटर के रूप में तब तक खड़ा था जब तक कि मुख्य देनदार की संपत्ति उत्तरदाताओं के पास बंधक न हो जाए। बेच दिया गया और बिक्री से प्राप्त आय को देय राशि के रूप में विनियोजित किया गया। विवाद का गुण-दोष अधिनियम की धारा 4(2) के प्रावधानों पर निर्भर करता है जो इस प्रकार है:—

> "जहां धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की संपत्ति राज्य सरकार, निगम या सरकारी कंपनी के पक्ष में किसी बंधक, शुल्क, गिरवी या अन्य भार के अधीन है, तो माल की गिरवी या दृष्टिबंधक के प्रत्येक मामले में, या अचल संपत्ति पर बंधक, शुल्क या अन्य ऋणभार, ऐसी संपत्ति या, जैसा भी मामला हो, उसमें चूककर्ता का हित, पहले उस व्यक्ति से देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही में बेचा जाएगा, और यदि की आय उपरोक्त संपत्ति की बिक्री

देय राशि से कम होने पर चूककर्ता की अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

बशर्ते कि जहां राज्य सरकार की राय हो कि उसे या निगम या सरकारी कंपनी को, जैसा भी मामला हो, देय राशि की वसूली की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह कारणों को दर्ज करते हुए, गिरवी रखे गए या गिरवी रखे गए सामान, गिरवी रखी गई, आरोपित या भारग्रस्त अचल संपत्ति और डिफॉल्टर की अन्य संपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए एक साथ सीधी कार्यवाही की जाएगी।

उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि धारा 3 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति बंधक या बंधक है, तो डिफॉल्टर की अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले इसे पहले बेचा जाना चाहिए। धारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति प्रधान और जमानतदार दोनों हैं। नतीजतन, यदि उनमें से किसी एक की संपत्ति बंधक के अधीन है, तो उसे बेचना होगा और डिफॉल्टर की अन्य संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसकी बिक्री आय को विनियोजित करना होगा। इसलिए निचली अपीलीय अदालत ने उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या पर अवैध रूप से ट्रायल कोर्ट के आदेश को उलट दिया है। इसलिए, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा